एन०आई०सी० द्वारा इस पद्धति के आधार पर प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु एक सॉफ्टवेयर GePNIC (जेपनिक) विकसित किया गया, जिसकी मान्यता MORD & NRRDA द्वारा प्राप्त है तथा उसके लिए दिशा निर्देश एवं निधि की व्यवस्था भी उन्हीं सस्थाओं द्वारा प्रारंभ के दिनों में की गई थी।

हाल के दिनों में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के सभी योजनाओं के कार्यो को इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराने पर बल दिया गया है। तदनुसार विभाग भी उनके सशक्त दिशा निर्देशन में विभाग द्वारा कराये जाने वाले सभी कार्यो की निविदा इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया के आधार पर ही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है।

2. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया की परिभाषाः

यह एक निविदा की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का एक माध्यम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों यथा कम्प्यूटर, ब्रॉडबैंड, इन्टरनेट कनेक्शन इत्यादि तथा संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ इसकी विशेषज्ञता का उपयोग कर उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इस पद्धति में निविदा की अन्य सारी प्रक्रियाएँ पूर्व की भांति ही संपन्न की जाती हैं। मात्र तकनीकी एवं वित्तीय बीड के अभिलेखों के हार्ड कॉपी को स्कैन कर डी0एस0सी0के माध्यम से संबंधित निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षर कर किसी खास निविदा के लिए अपना अभिलेख कम्प्यूटर में अपलोड कराते है, जिससे उनके द्वारा डाले गए अभिप्रमाणित कागजातों में रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है, जो निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के लिए उपयोगी है।

3. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से लाभः

इस पद्धति के लागू होने से विभिन्न भौगोलिक स्थानों से निविदादाता घर बैठे निविदा में भाग लेने की सक्षमता प्राप्त करेंगे जिसे निविदादाताओं के बीच प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, जिसका लाभ निविदादाता, विभाग तथा राज्य की जनता को प्राप्त होगी।

इस पद्धति द्वारा की गई निविदा पारदर्शी होंगी जो कि बाह्य कारकों से अप्रभावित रहेगी जिससे निविदादाता एवं विभाग दोनों लाभान्वित होंगे तथा नियमानुसार सक्षम निविदादाता को निविदा प्राप्त हो सकेंगी।

इस पद्धति द्वारा निविदित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की निविदाओं का लेखा जोखा रखना सरल हो जायेगा। हर वित्तीय वर्ष में निविदित निविदाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में भी समय की बचत होंगी।

4. इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपस्करः

4.1 कम्प्यूटर सिस्टम अद्यतन वर्जन एण्टी वायरस के साथ।

4.2 इन्टरनेट एक्सपलोरर वर्जन 7.0 या उससे उपर का

4.3 नियमबद्ध वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र C.C.A. India द्वारा प्रमाणित।

4.4 ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन के साथ

4.5 प्रिंटर

4.6 यू0पी0एस0

5. उपयोग से पूर्व की व्यवस्था :

5.1 ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए।

5.2 इसका उपयोग करने वाले को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वे DSC Software का उपयोग कर सकें।

5.3 जब सिस्टम कार्य करना प्रारंभ करे तो DSC को यू0एस0बी0 पोर्ट से जोड़ा जाना चाहिए।

5.4 DSC Driver को Resource C.D. से स्थापित किया जायेगा।

5.5 J.R.E. 1.6 को स्थापित किया जायेगा।

5.6 बेवसाईट पर डाले गये अभ्यावेदन को पता करने हेतु उपयोगकर्त्ता/निविदादाता को निबंधित होना चाहिए।

6. डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र और डिजिटल इन्क्रीप्शनः

निविदादाता को निविदा डालने से पहले हस्तलिखित हस्ताक्षर के स्थान पर डिजिटल सिग्नेचर स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि वे इन्टरनेट के माध्यम से निविदा डाल सकें जिससे वे असहमत न हो सकेंगे कि भेजा हुआ अभिलेख उनका नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर एक डिजिटल समतुल्य हस्तलिखित हस्ताक्षर होता है जिसके साथ अतिरिक्त किसी प्रकार की सूचना एवं अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रॉनिकली डाटा जुड़ा रहता है। डिजिटल सिग्नेचर यह भी आश्वस्त करता है कि जो अभिलेख डिजिटली हस्ताक्षर कर समर्पित किये जाते है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।